34
2.30

संख्या–35/XXIV-3/18/02(97)17

प्रेषक,

डा0भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 30 जनवरी, 2018

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों हेतु विभिन्न मानक मदों में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुर्नर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याःअर्थ–1/22004/5क(01)(15)/2017–18, दिनांकः 27 अक्टूबर, 2017, पत्र संख्या–अर्थ–1/27768/5क(01)(15)/2017–18, दिनांकः 04 दिसम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या–अर्थ–1/31305/5क(01)(15)/2017–18, दिनांकः 06 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महोदय राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुर्नर्विनियोग के माध्यम से किये जाने हेतु संलग्न बी0एम0–09 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या–11 के अधीन राजस्व पक्ष में विभिन्न मदों में प्रस्तावित व्यय हेतु **रू0 68612 हजार (रू0 छः करोड़ छियासी लाख बारह हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय करने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संविदा/आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII (1)2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(ड़) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्याः**–11 के अधीन **राजस्व पक्ष** के लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 07–राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना के अधीन संलग्नक बी0एम0–09 प्रपत्र में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः....

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 144(म0)XXVII(3)/2017–18, दिनांकः 25 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

संलग्न :यथोक्त

भवदीया,

(डा0भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठाकंन संख्याः 35(1)/XXIV-3/18/02(97)2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
10–वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
11–कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
12–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।